

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/शोशावली को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम उद्योगिकीय कृषक शोशावली संघ (ISKCON)
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) मयंक कुमार शर्मा AKA मायापुर नारी दास
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. 10/10/12, पारिवार कालोनी, ग. नं. -3, कोटा 7073312/14, iskconkota@gmail.com
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य नया भूमि उन्नयन शोशावली के लिए केंद्र
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) संख्या नं. 24, आनंदपुरा (पूरा माला), कोटा
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 10,000 से 12,000 वर्ग मीटर न. त्वाडपुरा, कोटा
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभो बाबत संक्षिप्त विवरण) (ISKCON) संस्थान, 10 करोड, 5 से 7 हजार नारी शोशावली कोटा में बनने वाले
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण नहीं।
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशनस संलग्न
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बलेन्स शीट संलग्न
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो। संलग्न
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण) संलग्न
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो। संलग्न


यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों, व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 14/12/22

स्थान : कोटा

नाम व पद मयंक कुमार शर्मा (मायापुर नारी दास)
{ ISKCON KOTA MANAGER }


 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता


 Vice President
 Shant Narsingh Das
 ISKCON, JAIPUR
 Reg. No. 225/70 GRP

परिशिष्ट-1'

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	मयंक कु. शर्मा, 10/8/12 पारिवारिक अत्यामी, कोटा
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	31 जानकपुरा (फटा नालाबा) तें. लणपुरा, कोटा
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	खसरा नं. - 24
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	BOM 225/70 G&B&SD, January 1967
संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	संतुलन
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	संतुलन
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	संतुलन

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	दक्षी नगरी को, जहां भूमि अत्यंत श्रेणी व कम आय वाले आदि।
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोर्मस	
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	नहीं
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	पुरन्तावित
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	500/- 14/12/22
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	स्थानीय निकाय की सीमा में
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	संतुलन
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	नहीं
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	नहीं
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	परिचय स्थल, सुगमता के कारण भूमि में लाभ
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण	
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	नहीं
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	नहीं
अन्य विवरण	

Vice President
Shant Narsingh Das
15K CON. JALPUR
Reg. Bom. 225/70 G&B&SD



International Society For Krishna Consciousness
Founder Acharya : His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

श्रीमान सचिव महोदय
नगर विकास न्यास कोटा
राजस्थान सरकार

विषय : इस्कॉन संस्था हेतू भूमि आवंटन करने बाबत।

मान्यवर,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस्कॉन संस्था विगत 50 से अधिक वर्षों से पूरे विश्व में आध्यात्मिक व सामाजिक कार्य (जैसे कि निशुल्क भोजन वितरण, आपदा राहत कार्य, मेडिकल शिविर, नशा मुक्ति इत्यादि) में संलग्न है। पूरे विश्व में इस्कॉन के लगभग 700 केन्द्र है (भारत में लगभग 100 व बाकी विश्व में 600)। इस्कॉन द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंच रहा है, विशेष रूप से युवा वर्ग जीवन में सही दिशा प्राप्त कर पा रहे है।

मान्यवर, कोटा में पिछले कुछ वर्षों से इस्कॉन के भक्त निरंतर मानव कल्याण के कार्यों में लगे है। कोटा में पूरे देश से तथा विदेश से हजारों विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते है और इस्कॉन केन्द्र विद्यार्थियों को तनाव, नशा इत्यादि बुरी आदतों से मुक्त रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता आया है।

मान्यवर, आपके द्वारा कोटा के विकास के लिए किये गए प्रयास अत्यंत सराहनीय है, ऐसे में आपके सहयोग से कोटा में इस्कॉन केन्द्र की स्थापना होने पर देश-विदेश के हजारों भक्तों का आना जाना आरम्भ होगा जो कोटा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के आपके प्रयासों में सहायता करेगा।

नगर विकास न्यास कोटा
क्रमांक. 160937
दिनांक 14/12/22
प्रकारण निस्तारण 15 दिवस में कर
भाषण/स्वानगी शाखा पर दर्ज करवाएँ।

समिति
14/12/22